M/s Central Coalfields Limited's Tapin South Expansion Project, Post Tapin, District Hazaribagh, Jharkhand (Normative 2 MTPA & Peak 2.5 MTPA), Executive summary of public hearing held on 27/02/2016 for getting Environmental Clearance

As per Ministry of Environment & Forest, Government of India, New Delhi notification S.O 1533/EIA dated 14/09/2006, for getting environmental clearance public hearing notification was published by Jharkhand State Pollution Control Board in Daily (Hindi) newspaper "Prabhat Khabhar" and "Hindustan Times" (English) on 25/01/2016

As per the above information public hearing was held on 27/02/2016 at 11.00 am in Tapin South Officers Club, CCL, District Hazaribagh under the chairmanship of Shri S.V Prabhakar, Director DRDA, Hazaribagh.

Shri Kamlakant Pathak, Regional Officer, Regional Office, Hazaribagh, Jharkhand State Pollution Control Board and Shri Ashok Kumar Junior Environment Engineer, Ranchi Jharkhand State Pollution Control Board were also present in the public hearing.

On this occasion Central Coalfields Limited, Hazaribagh Area General Manager (operation) Shri D.K Sinha, Tapin South Expansion OCP, PO, Shri G.K Rathore, other representative of unit and CCL headquarter along with villagers of core and buffer zone of the project were also present in the public hearing. Units Project officer, Shri G K Rathore and Mine manager Shri AP Singh welcomed all the visitors by presenting flowers to them. Shri Kamlakant Pathak, Regional Officer, Regional Office, Hazaribagh, Jharkhand State Pollution Control Board told about the purpose of public hearing for getting environmental clearance and he also throw some light on flora fauna, air and water of the area and he invited all the villagers for presenting their views in public hearing.

Shri Girish Kumar Rathore, Project Officer gave detailed information about the project. He told that project normative capacity is 2MTPA and peak capacity is 2.5 MTPA. Life of mine is 6 years. Mining work will be started only after getting environmental clearance, pollution generated by mine will be controlled by technical and scientific solutions, mine will give direct and indirect employment to displaced people, which will improve economic condition of the people.
Apart from this additional fund of Rs 35 lakhs will be spent on CSR activities for development of the area.

People present on public hearing asked questions related to pollution, displacement, electricity, road, health and education. Maximum questions were related to land acquisition and facilities given to displaced people in lieu of acquired land.

Answering all the questions of people General Manager (operation) told that mine will give direct and indirect employment to people, which will improve economic condition of the people. It will improve their lifestyle and will develop whole area. Questions asked by people and their answer by management is enclosed in Compact Disc.

Road, Electricity, Water, Hospital, Education and other basic facilities will be expanded in the area by CSR activities. Water will be sprinkled by modern techniques and will be monitored regularly for controlling pollution due to coal transportation. Rain water harvesting schemes will be implemented to conserve water table in the area. Hand pumps condition will be improved to supply drinking water to nearby villages. For proper utilization of CSR funds, a committee has been established in CCL headquarter, in which public representatives and trade unions members will give their valuable contribution. For controlling air pollution apart from water sprinkling plantation of trees will be done large quantity including many fruit bearing trees.

Nonel & Delay will be used for doing controlled blasting for controlling vibrations during blasting so that cracks in the houses of people can be stopped. As per chairmen of public hearing, environmental impact and mitigation of this project should be as per EMP report. Plantation will be done as per reclamation plan of the EMP after consultation with forest department. Management is committed to give alternative employment to youngsters by giving them professional training.

Thereafter public hearing was concluded by taking permission from chairman.

| | | |
|---|---|---|
| Ashok Kumar Yadav,<br>Junior Environment Engineer,<br>JSPCB HQ Ranchi | Kamla Kant Pathak,<br>Regional Officer,<br>JSPCB,Hazaribagh | Srinaray Vigyan<br>Prabhakar,<br>Director DRDA |

M/s Central Coalfields Limited's Tapin South Expansion Project, Post Tapin, District Hazaribagh, Jharkhand (Normative 2 MTPA & Peak 2.5 MTPA), Executive summary of public hearing held on 27/02/2016 for getting Environmental Clearance

Public Hearing Questionnaire: Date 27/02/2016

| SN | Name of Person and Address | Question asked by villagers/members | Answer given by management representative. |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Satru Saav,Village Kajri | Till now management has not ensured proper arrangement for electricity, water etc. facilities. | Company take development work on priority basis under community development plan around 8 km surrounding of the project. |
| 2. | Smt. Anushi Devi, Pramukh, Churchu Prakhand | Management has done commendable work for expansion of project. Management should inform us when mining process will start, so that people can get employment. | Work can be started after getting environmental clearance. Skill development is being given every year for alternative employment. |
| 3. | Shri Babli Peter Horo, Mukhiya, Bahera Panchyat | He expressed his happiness and gave consent for expansion of project and appealed for early start of work. He asked for information on employment generation from this project. | Expansion of project create direct as well as indirect employment opportunities. |
| 4 | Smt Aagnesia Sandi Purti, District council member,Churchu | She congratulated management for organizing public hearing event, and asked for information about facilities given by CCL to displaced people 33 years after acquiring their land. She asked to include displaced people in the committee while deciding proposed work schedule under CSR. | Benefit of company's CSR policy is given directly to villagers as per their needs. CSR works are always implemented after getting approval from headquarter, detail of which can be collected from regional headquarter. |
| 5 | Smt Neha Devi, Panchyat Samiti, Member, Western Area | While coal dispatch due to overloading, coal falls on road and gets converted into dust. Management has made what arrangement for avoiding this and for saving people from diseases generated due to it? Why displaced haven't got facilities under CSR yet. | Overloading will not be done in coal dispatch and coal transportation will be only done by tarpaulin covered trucks which will reduce dust generation. Displaced people are getting facilities under CSR. |
| 6 | Shri Mannu Tudu, People Representative, Phusri | While giving his consent for project he told that CCL has acquired land in 1977 and employment is only given to few displaced people. He demanded from management to give detailed account of acquired land ,no of job given and no of pending job proposed to be given. | After acquiring land CCL gives compensation and employment as per rules of the company. Information related to acquired land can be collected from office. |
| 7 | Shri Ram Kishore Murmu, | He told that 906.45 Acre land was acquired from Phusri village but | After acquiring land CCL gives compensation and |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Displaced Phusri | only 35 people have got employment till now. Management should provide information about no of families got displaced and no of employment given. | employment as per rules of the company. Information related to acquired land can be collected from office. Only 363.31 acre land will be used in this project. |
| 8. | Shri Shiv Lal Mahto, Behra Village | CCL management should give one employment per 2-acre land. Scholarship should be given to meritorious students of the area. Employment should be given to displaced families after identification. PAF children should get excellent education facilities. Trees should be planted. Water is not sprinkled. | CCL gives compensation and employment as per its R&R policy. CCL adopts brilliant students and provide full education facilities to them. Employment opportunities are being increased through skill development activities. Excellent arrangement of water sprinkling will be ensured .Plantation work will be done. |
| 9 | Shri Ajay Kumar, Phusri Villager | He told that this is good initiative by management to organize public hearing event. I am a displaced and I am visiting headquarter from last 3 years for getting employment. No action has been taken yet. Therefore, it is my request from CCL management to give employment within 6 months. CCL management should completely implement Land acquisition bill 2014.Apart from this area revenue officer should be appointed in Hazaribagh area which will help displaced people. | CCL management has its own R&R policy according to which compensation and employment is given to displaced people. File related to employment is immediately sent to headquarter for approval. Area revenue officer will be appointed shortly. |
| 10 | Shri Anwar Hussain,Jarwa Villager | He requested CCL management to establish 10+2 school under CSR in the area so that village children don't have to outside for getting education. | CCL management operate schools through DAV. This work will be taken up under CSR as per need of the people. |
| 11 | Shri Kuleshwar Bhokta,Kajri Villager | He said that colliery is running since 1972-73. Water, forest and land is degrading due to immigrant Indians. Employment should be given on 1-acre land instead of 2-acre land. Outsourcing should be closed and mine should be run by CCL itself. Employment should be given to displaced people by starting road sale. | This mine is proposed to be run by CCL management itself. Road sale can be started keeping in view supply and demand of coal as it was done earlier also. |

**मेसर्स सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के तापिन साउथ विस्तारीकरण परियोजना पोस्ट– तापिन जिला–हजारीबाग, झारखण्ड (सामन्य क्षमता – 2 मिलियन टन प्रति वर्ष एवं उच्चतम क्षमता 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 27/02/16 की कार्यवाही।**

---

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना स. एस. ओ. 1533/ ई. आई. ए., दिनांक : 14/09/2006 की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्गत सूचना का प्रकाशन हिन्दी दैनिक समाचार पत्र 'प्रभात खबर' एवं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (अंग्रेजी) में विगत दिनांक 25/01/2015 को हुआ था।

उर्प्युक्त सूचना के अनुसार '**लोक** सुनवाई' दिनांकः 27/02/2016 को पुर्वाहन 11.00 बजे तापीन साउथ विस्तारीकरण परियोजना के लिए तापीन साउथ ओफिसर्स क्लब, सी. सी. एल., जिला – हजारीबाग, झारखण्ड में श्री एस. वी. प्रभाकर, निदेशक डी. आर. डी. ए. जिला – हजारीबाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी ।

इस लोक सुनवाई में श्री कमलाकांत पाठक, क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग एवं श्री अशोक कुमार यादव कनीय पर्यावरण अभियंता, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, रांची उपस्थित थे।

इस अवसर पर सेन्ट्रल कोल फिल्ड्स हजारीबाग क्षेत्र के महाप्रबंधक (ऑपरेशन) श्री डी. सिन्हा, तापिन साउथ परियोजना के परियोजना पदाधिकारी, श्री जी. के. राठौर, इकाई एवं मुख्यालय के अन्य प्रतिनिधि तथा कोर जोन एवं बफर जोन से आए गाँव के नागरिक भी उपस्थित थे। इकाई के परियोजना पदाधिकारी, श्री जी. के. राठौर एवं खान प्रबन्धक श्री ए. पी. सिंह द्वारा आगन्तुको का स्वागत हेतु पुष्प गुच्छ प्रदान कर किया गया। श्री कमलाकांत पाठक, श्रेत्रीय पदाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, हजारीबाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु 'लोक सुनवाई' के उद्देश्यों एवं क्षेत्र में पेड़ – पौधों, पशु – पक्षियों वायु एवं जल इत्यादि की स्थिति जैसे विंदुओ पर प्रकाश डाला गया और ग्रामीणों को अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया गया।

श्री गिरीश कुमार राठौर, परियोजना पदाधिकारी द्वारा परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि परियोजना की समान्य क्षमता **2 मिलियन टन प्रतिवर्ष एंव उच्चतम क्षमता 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष** है। यह खदान 06 वर्षों तक चलेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के उपरांत खनन

कार्य शुरू किया जाएगा, खनन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु तकनीकी एवं वैज्ञानिक उपाय किये जाएंगे, खनन कार्य चालू होने पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित गाँवों के विस्थापितों को रोजगार मिलेगा जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरेगी। साथ ही साथ सी. एस. आर. के तहत 35 लाख रूपये का अतिरिक्त फंड मिलेगा, जिसे प्रभावित क्षेत्र विकास पर खर्च किया जाएगा।

लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकों द्वारा प्रदूषण, विस्थापन, बिजली, सड़क स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे अहम प्रश्न पूछे गए। अधिकांश प्रश्न भूमि अधिग्रहण एवं उसके बदले विस्थापितों के मिलने वाली सुख–सुविधाओं जैसे बुनयादी समस्याओं से संबन्धित थे।

उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर में हजारीबाग क्षेत्र के महाप्रबंधक (ऑपेरशन) ने कहा कि खदान खुलने से लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। जिससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। उनकी जीवन शैली में सुधार होगा एवं क्षेत्र का विकास होगा। नागरिकों द्वारा पुछे गए प्रश्न तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर अलग से सी0 डी0 में सलग्न है।

सी. एस. आर. के तहत सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। कोयला ढुलाई से होने वाली प्रदूषण को रोकने हेतु पानी की छिड़काव की व्यवस्था को और आधुनिक बनाई जाएगी एवं उसकी लगातार मानिटरिंग की जाएगी। जल स्तर यथावत रखने के लिए रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्लान जैसी अन्य योजनाओं का लागू किया जाएगा। पेयजल आपूर्ति के लिए आसपास के गाँवों में नलकूप की स्थिति को मजबूत किया जाएगा। सी. एस. आर. के अंतर्गत मिलने वाली फंड का उचित उपयोग हेतु मुख्यालय में एक कमिटी का गठन किया गया है जिसमें जनप्रतिनिधिओं एवं ट्रेड युनियनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी होगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पानी छिड़काव के अलावे काफी संख्या मे पेड़ – पौधे लगाए जाएंगे जिसमे फलदार वृक्षों का उचित समावेश होगा।

ब्लास्टिंग से होने वाले कंपन के लिए नोनेल एवं डिले (Nonel & Delay) जैसे आधुनिक सामग्री का उपयोग कर नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी जिससे लोगों के घरों में होने वाली दरारों को रोका जा सके। उपर्युक्त इकाई के द्वारा संभावित पर्यावरणीय प्रभावों एवं उनके नियंत्रण हेतु सक्षम उपायों पर माननीय अध्यक्ष के अनुसार हो। ई. एम. पी. में दिये गये रिक्लेमेशन प्लान के अनुसार पेड़ पौधे वन विभाग से परामर्श कर लगाये जायेगे। रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए समय–समय पर युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिला कर रोजगार से जोड़ने के लिए प्रवंधन संकल्पित है।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की सहमति से लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

| | | |
|---|---|---|
| 27/02/16 | 27/02/16 | 27/02/16 |
| (अशोक कुमार यादव) | (कमलाकांत पाठक) | (एस. विज्ञान प्रभाकर) |
| कनीय पर्यावरण अभियंता | क्षेत्रीय पदाधिकारी | अधयक्ष |
| झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,राँची | झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद,हजारीबाग | निदेशक डी. आर. डी. ए., हजारीबाग |

मेसर्स सी. सी. एल के तापिन साउथ विस्तारीकरण परियोजना (सामान्य क्षमता **2 मिलियन टन प्रति वर्ष एवं उच्वतम क्षमता 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष)** पो. – तापिन, जिला – हजारीबाग, झारखंड में आयोजित लोग सुनवाई की प्रश्नोत्तरी :– दिनांक : 27 / 02 / 2016

| क्र. सं. | प्रश्नकर्ता का नाम एवं पता | नगरिकों / सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न | कंपनी प्रतिनिधि द्वारा दिए गए उत्तर |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री सतरू साव ग्राम – कजरी | अभी तक प्रबंधन के द्वारा सड़क बिजली, पानी इत्यादि की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है। | कंपनी सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत 8 किलो मीटर की परिधि मे पड़ने वाले सभी गाँवों में विकास कार्य प्राथमिकता के अधार पर करती है। |
| 2. | श्रीमति अनुक्षि देवी प्रमुख, चूरचू प्रखण्ड | परियोजना के विस्तारीकरण हेतु प्रबंधन के द्वारा किए गए कार्यक्रम काफी सराहनीय है। प्रबंधन यह बतावे कि कितने दिनां में खनन प्रक्रिया शुरू होगी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। | पर्यावरण स्वीकृति मिलने के उपरांत कार्य आरंभ किया जा सकता है। वैकल्पिक रोजगार हेतु स्कील डेवेलपमेंट की ट्रेनिंग हर साल हो रही है। |
| 3. | श्री बबली पीटर होरो मुख्यि, बहेरा पंचायत | परियोजना के विस्तारीकरण से संबन्धित कार्यक्रम हेतु अपनी सहमति सह प्रसन्नता जाहिर करते हुए खनन कार्य जल्द से जल्द चालू करने की अपील की। इससे ग्रामीणों एवं विस्थापितों को किस प्रकार रोजगार मिलने हेतु जानकारी मांगी। | परियोजना के विस्तारीकरण से ग्रामीणों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना बनती हैं। |
| 4. | श्रीमति आग्नेशिया सांडी पुर्ति, जिला परिषद सदस्य, चुरचू | लोक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रबंधन का सराहना करते हुए यह जानकारी मांगी की विस्थापन के 33 वर्षों के उपरांत सी. सी. एल. प्रबंधन द्वारा विस्थापितों को क्या–क्या सुविधा प्रदान की गई है। एवं सी. सी. आर. के तहत जो कार्य प्रारूप तैयार की जाती है उसमें विस्थापितों को उचित समावेश किया जाना चाहिए। | कंपनी की सामुदायिक विकास योजना का लाभ सीधे ग्रामीणों को अपनी आव यकता अनुसार कंपनी के नियमो के तहत किया जाता है। मुख्यालय से अनुमोदन के उपरांत कार्य किए जाते है, जिसकी विस्तृत जानकारी क्षेत्रिय मुख्यालय से ली जा सकती है। |
| 5. | श्रीमति नेहा देवी, पंचायत समिति सदस्य, पश्चिमी क्षेत्र | कोयला डिस्पैच के क्रम मे ओवरलोडिंग से कोयला गिर कर डस्ट बनता है इससे बचने के लिए एवं | कोयला डिस्पैच के क्रम में ओवरलोडिंग नहीं किया जाएगा और तारपोलिन से ढक कर ही कोल परिवहन किया |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | इससे होने वाली रोग से निदान के लिए प्रबंधन के पास क्या व्यवस्था है? सी. एस. आर. के तहत अभी तक विस्थापितों को सुविधा क्यों नहीं मिली? | जाएगा जिससे धूल कम से कम उत्पन्न हो। सी. एस. आर. के तहत विस्थापितों को सुविधा दी जाती है। |
| 6. | श्री मन्नू टूड्डू, जन प्रतिनिधि, फुसरी | परियोजना के विस्तारीकरण हेतु अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इन्होने कहा की 1977 ई. मे सी. सी. एल. द्वारा जमीन अधिग्रहण किया गया और 1983 ई0 मे बहुत ही कम विस्थापितों को नौकरी प्रदान की गयी है। प्रबन्धक से उन्होने मांग किया की जमीन अधिग्रहण का विस्तृत लेखा दी जाय एवं कितने ग्रामीणों को नौकरी प्रदान की गयी। बाकी कितने और लोगों को नौकरी प्रदान की जानी बाकी है। | जमीन के अधिग्रहण के बाद सी. सी. एल. नियमों के तहत मुआवजा एवं रोजगार प्रदान करती है। अधिग्रहण से संबंधिति सारी जानकारी कार्यलय से प्राप्त की जा सकती है। |
| 7. | श्री राम किशोर मुर्मू, विस्थापित फुसरी | इन्होने कहा की, फुसरी गाँव का 906. 45 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया है परंतु अभी तक मात्र 35 लोगों को ही नौकरी मिला। कृपया प्रबंधन द्वारा यह जानकरी उपलब्ध कराया जाय कि कितने परिवार विस्थापित हुए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है। | जमीन के अधिग्रहण के बाद सी. सी. एल. नियमों के तहत मुआवजा एवं रोजगार प्रदान करती है। नौकरी के संबंध में सारी जानकरी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इस परियोजना के अर्न्तगत फुसरी गाँव का केवल 363. 31 एकड़ जमीन का उपयोग किया जाएगा। |
| 8. | श्री शिवलाल महतो, बेहरा ग्रामीण | सी. सी. एल. प्रबंधन के द्वारा विस्थापितों को 02 एकड़ जमीन पर एक नौकरी दी जाय। क्षेत्र के मेधावी छात्र का सी. सी. एल प्रबंधन द्वारा छात्रवृति प्रदान के जाय। विस्ताथापित परिवारों को चिन्हित् कर नौकरी दें Pap के बच्चों के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था हो। बेरोजगार युवकों को रोजगार के वैकल्पिक व्यवस्था कर जोड़ा जाय। वृक्ष लगाना चाहिए पानी का छिड़काव नहीं होता है। | सी. सी. एल. अपनी आर. एवं आर. पॉलीसी के तहत मुआवजा एवं रोजगार प्रदान करती है। मेधावी छात्रों को गोद ले कर यह कंपनी पूरी शिक्षा की व्यवस्था करती है। स्कील डेवेलपमेंट के द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ रहे है। पानी का क्षिड़काव का उत्तम प्रबंध किया जाएगा एवं वृक्षारोपन कार्य भी किया जाएगा। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | श्री अजय कुमार फुसरी ग्रामीण | इन्होने कहा कि, प्रबंधन के द्वारा लोक सुनवाई जैसे कार्यक्रम का आयोजन एक अच्छी पहल है। मैं खुद एक विस्थापित हूँ और नौकरी के लिए बीते तीन साल से हेड क्वार्टर में घूम रहा हूँ। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः सी. सी. एल. प्रबंधन से निवेदन है कि छह महिना के अंदर नौकरी प्रदान की जाय। सी. सी. एल. प्रबंधन द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल 2014 पूर्ण रूप से लागू किया जाय। साथ ही साथ हजारीबाग एरिया मे एरिया रेविन्यु ऑफिसर बहाल किया जाय, जिससे विस्थापितों को काफी मदद मिलेगी। | सी. सी. एल प्रबंधन की अपनी आर एण्ड आर पॉलीसी है जिसके तहत मुआवजा एवं रोजगार विस्थापितों को नियमनुसार प्रदान किया जाता है नौकरी के लिए प्राप्त फाइल को मुख्यालय स्वीकृति हेतू तत्काल भेजा जाता है। एरिया रेविन्यू ओफिसर की बहाली जल्द की जयेगी। |
| 10. | श्री अनवर हुसैन, जरवा ग्रामीण | इन्होनें सी. सी. एल. प्रबंधन से मांग किया कि सी. एस. आर. के तहत इस क्षेत्र में एक (10+2) विद्यालय के स्थापना की जाय ताकि ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर न जाना पड़े। | सी. सी. एल. प्रबंधन के द्वारा स्कूल का संचालन डी. ए. वी. के द्वारा किया जाता है। आवश्यकता अनुसार सी. एस. आर. मे यह कार्य किया जाएगा। |
| 11. | श्री कुलेश्वर भोक्ता क्जरी ग्रामीण | इन्होने कहा कि, 1972 – 73 से कोलियरी चल रही है, और अप्रवासी भारतीयों के द्वारा जल – जंगल एवं जमीन को नुकसान हो रहा है। 02 एकड़ के बदले 01 एकड़ जमीन पर ही नौकरी दी जाय। आउटसोर्सिंग बंद कर खदान सी. सी. एल. प्रबंधन स्वय चलाये। रोड सेल चालू कर विस्थापितों को उचित रोजगार मुहैया कराई जाय। | यह खदान सीसीएल प्रबंधन के द्वारा चलाये जाने की योजना है। रोड सेल कायेले की मांग और नियमों को ध्यान में रख कर किया जा सकता है और पूर्व में किया भी गया है। |

AK 27/07/16 | 27/07/16 | 27/07/16

(अशोक कुमार यादव)
कनीय पर्यावरण अभियंता

(कमलाकांत पाठक)
क्षेत्रीय पदाधिकारी

(एस. विज्ञान प्रभाकर)
अधयक्ष

# विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति

| क्र0सं0 | नाम एवं पदनाम | हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 01 | Srinoray Vigyan Prabhakar<br>Director DRDA | [signature] 27/02/16 |
| 2. | कमलाकान्त पाठक,<br>क्षेत्रीय पदाधिकारी,<br>झारखण्ड प्र0 नि0 पर्षद हजारीबाग | [signature] 27/02/16 |
| 3. | अशोक कुमार यादव,<br>का0 पर्या0 अभियंता,<br>मुख्यालय, रांची। | AS 27/02/16 |

अनुलग्नक - 2

## उपस्थिति पंजी (लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकों के लिए )

| क्र0 सं0 | नाम/पदनाम | ग्राम का नाम | पोस्ट | जिला | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | महादेव सोरेन | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | महादेव सोरेन |
| 2 | रमेश सोरेन | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | रमेश सोरेन |
| 3 | विनोद रविदास | बहेरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | विनोद रविदास |
| 4 | पारसनाथ महतो | 〃 | चरही/तापिन | हजारीबाग | पारसनाथ महतो |
| 5 | रामेश्वर महतो | 〃 | चरही/तापिन | हजारीबाग | रामेश्वर महतो |
| 6 | सैयनाथ महतो | 〃 | चरही/तापिन | हजारीबाग | सैयनाथ महतो |
| 7 | श्याम नारायण महतो | 〃 | चरही/तापिन | हजारीबाग | [illegible] |
| 8 | सुनाथ महतो | 〃 | चरही/तापिन | हजारीबाग | सुनाथ |
| 9 | जनता दल यूनाईटेड Omprakash [illegible] | तापिन [illegible] | चरही/तापिन | हजारीबाग | Omprakash [illegible] जनता दल यूनाईटेड |
| 10 | Suresh Mahto | बहेरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | [illegible] |
| 11 | Birsa Tudu | Bahera | चरही/तापिन | हजारीबाग | Birsa Tudu |
| 12 | [illegible] | Bahera | चरही/तापिन | हजारीबाग | [illegible] |
| 13 | संपत महतो | तापिन [illegible] | चरही/तापिन | हजारीबाग | संपत महतो |
| 14 | [illegible] | [illegible] | चरही/तापिन | हजारीबाग | [illegible] |
| 15 | Mahendra Mahto | Kajri | चरही/तापिन | हजारीबाग | Mahendra |
| 16 | Pankaj Kumar | Tapin South | चरही/तापिन | हजारीबाग | Pankaj Kumar |
| 17 | Pramod Kr. | Tapin South | चरही/तापिन | हजारीबाग | Pramod Kr. |
| 18 | Gopal Mahto | Bahera | चरही/तापिन | हजारीबाग | Gopal Mahto |
| 19 | Arbind Kr | Bahera | चरही/तापिन | हजारीबाग | Arbind Kr |
| 20 | A.K. Das | Charhi | चरही/तापिन | हजारीबाग | [thumbprint] |
| 21 | Sumit Kumar | Charhi | चरही/तापिन | हजारीबाग | [thumbprint] |

## उपस्थिति पंजी (लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकों के लिए)

| क्र0 सं0 | नाम/पदनाम | ग्राम का नाम | पोस्ट | जिला | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Anil Kumar Das | Charhi | चरही/तापिन | हजारीबाग | Anil Kr Das |
| 23 | Raju Ram | Kajari | चरही/तापिन | हजारीबाग | Raju Ram |
| 24 | बादो मांझी | कुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | Dachomanjhi |
| 25 | शनिचर मांझी | कुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | शनिचर मांझी |
| 26 | जुरगा मांझी | कुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | जुरगा मांझी |
| 27 | Arvind Kr Bhum. | Bahera | चरही/तापिन | हजारीबाग | Abe |
| 28 | Santosh K Ray | " | चरही/तापिन | हजारीबाग | SKR |
| 29 | शिवनंदन बेदिया | " | चरही/तापिन | हजारीबाग | [illegible] |
| 30 | इन्द्रनाथ बेदिया | " | चरही/तापिन | हजारीबाग | बेदिया |
| 31 | Basudeo Mahto | " | चरही/तापिन | हजारीबाग | Bahera |
| 32 | जयराम टुडू | कुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | Jairam Tudu |
| 33 | दशरथ मुर्मू | कुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | |
| 34 | बिरसा मांझी | कुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | भैरो टोला |
| 35 | मेहीलाल टुडू | " | चरही/तापिन | हजारीबाग | सोसरा टोला मेहीलाल टुडू |
| 36 | मोहन प्रजापति | कजरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | कुम्हार टोला मोहन प्रजापति |
| 37 | सुकू मांझी | कुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | सुकू मांझी कुसरी |
| 38 | अशोक उरांव | कजरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | अशोक उरांव |
| 39 | बैजन मांझी | कुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | बैजन मांझी |
| 40 | Vincent Tudu | Kajri | चरही/तापिन | हजारीबाग | Vincent Tudu |
| 41 | Bobby Karim | Kajri | चरही/तापिन | हजारीबाग | [illegible] |
| 42 | रघुनंदन/बुधनी [illegible] | कजरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | [illegible] |

अनुलग्नक–2

## उपस्थिति पंजी (लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकों के लिए)

| क्र0 | नाम / पदनाम | ग्राम का नाम | पोस्ट | जिला | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | बनारसी मांझी | बरकी | | | बनारसी मा |
| 44 | गणेश मांझी | कुसरी | तापिन | हजारीबाग | Ganeshmanjhi |
| 45 | धनेश्वर हांसदा | रंगुवेडा | मांडू | रामगढ़ | Dhansda |
| 46 | सुनिल मांझी | कुसरी | तापिन | हजारीबाग | Smanjhi |
| 47 | लालो मांझी | बरकी | तापीन | हजारीबाग | लालो मांझी |
| 48 | पचायत सचिव<br>विजय किशोरिया<br>वार्ड सदस्य | बहेरा | चरही | हजारीबाग | vijaykeshoriya |
| 49 | अरविन्द कु० कुरम<br>ओ० सचिव मुखिया बेड़ा | ,, | ,, | ,, | Arvind kr burn |
| 50 | लोकनाथ कुमार राय | ,, | ,, | ,, | SKR |
| 51 | बिरजू राम | तापीन साउथ | तापीन साउथ | ,, | Ram |
| 52 | Shankar Tudu | कुसरी | तापीन साउथ | ,, | Shankar Tudu |
| 53 | राजु मांझी | कुसरी | तापीन | हजारीबाग | Raju Manjhi |
| 54 | Sudama Prajapati | कुसरी | तापीन | हजारीबाग | [illegible] |
| 55 | Ghanshyam Singh. | कजरी | तापीन | ह० बाग | [illegible] |
| 56 | Ajay Hembram | कुसरी | तापीन | ह०बाग | Ajay Hembram |
| 57 | Polbas Manjhi | कुसरी | तापीन | ह० बाग | Polbas Manjhi |

अनुलग्नक–2

# उपस्थिति पंजी (लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकों के लिए)

| क्र0 | नाम/पदनाम | ग्राम का नाम | पोस्ट | जिला | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Ramkumar Manjhi | Pushri | Tapin | HazariBag | RamKumar |
| 59 | Kuleshwar Rabidas | Hendegara | Jarwa | HazariBagh | Kus |
| 60 | लाल मोहन सोरेन | फुसरी | तापिन | हजारीबाग | लालमोहनसोरे |
| 61 | विरसा टुडू | फुसरी | तापिन | हजारीबाग | विरसा टुडू |
| 62 | बचन मांझी | फुसरी | तापिन | हजारीबाग | बचन मांझी |
| 63 | विलास मांझी | फुसरी | तापिन | हजारीबाग | विलास मांझी |
| 64 | बालेश्वर महतो | कजरी | " | " | बालेश्वरमहतो |
| 65 | पुरन मांझी | फुसरी | तापीन | हजारीबाग | पुरन मांझी |
| 66 | Dilip Tudu | Phussi | Tapin | Hazaribag | DilipTudu |
| 67 | Vijay ku | TapinBasti | Tapin | Hazaribag | Vijay |
| 68 | Naresh Tudu | Phussi | Tapin | Hazaribag | Naresh Tudu |
| 69 | Naresh Tudu | phussi | Tapin | Hazaribag | Naresh Tudu |
| 70 | Samel murmu | phussi | Tapin | Hazaribag | Samel murmu |
| 71 | Ramesh Murmu | FUssi | Tapin | Hazaribag | Ramesh murmu |
| 72 | विजय शर्मा | तापिन 2 नं0 | तापिन | हजारीबाग | विजय शर्मा |
| 73 | चरकु महतो | तापीन सं0 | तापीन | हजारीबाग | चरकु महतो |
| 74 | गोपाल सोरेन | तुलघुटू | तापीन | हजारीबाग | गोपाल सोरेन |
| 75 | धोलका मांझी | जोजोबेडा | ईटहरा | हजारीबाग | धोलका मांझी |
| 76 | राजु कुमार राय | बहेरा | चरही | हजारीबाग | राजु राय |
| 77 | upendra Kumar Ray | Bahera | Charhi | Hazaribagh | upendra Kumar |
| 78 | पवन कुमार मुंडा | बहेरा | चरही | हजारीबाग | पवन कुमार मुंडा |
| 79 | गोपाल मुंडा | बहेरा | चरही | हजारीबाग | गोपाल मुंडा |
| 80 | उमेश प्रजापति | बहेरा | चरही | हजारीबाग | उमेश प्रजापति |
| 81 | नन्दलाल महतो | बहेरा | चरही | हजारीबाग | नन्दलाल महतो |

अनुलग्नक–2

## उपस्थिति पंजी (लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकों के लिए)

| क्र0 | नाम/पदनाम | ग्राम का नाम | पोस्ट | जिला | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | प्रवीण कुमार महतो | बहेरा | चरही | हजारीबाग | प्रवीण कुमार महतो |
| 83. | रूपेश कुमार | बहेरा | चरही | हजारीबाग | Rupesh Kum |
| 84. | खजांची गंझू | कजरी | तापीन | हजारीबाग | |
| 85. | राधे गंझू | कजरी | तपीन | हजारीबाग | राधेगंझू |
| 86 | डोमन गंझू | कजरी | तपीन | हजारीबाग | |
| 87 | जिवलाल गंझू | कजरी | तपीन | हजारीबाग | जिवलाल गंझू |
| 88 | अर्जुन भुईयाँ | जरवा | चरही | हजारीबाग | अर्जुन भुईयाँ |
| 89 | रामसिंह | फुसरी | तापीन | हजारीबाग | रामसिंह |
| 90 | रमेश कुमार | तापीन साउथ | तापीन | हजारीबाग | [illegible] |
| 91 | राजू कुमार साव | तापीन साउथ | तापीन | हजारीबाग | राजू कुमार साव |
| 92 | संजय कुमार चौरसिया | तापीन साउथ | तापीन | हजारीबाग | संजय कुमार चौ. |
| 93 | दीपक कुमार | तापीन साउथ | तापीन | हजारीबाग | दीपक कुमार |
| 94 | विजय कुमार चौहान | तापीन साउथ | तापीन | हजारीबाग | [illegible] |
| 95 | संजय लोहार | तापीन साउथ | तापीन | हजारीबाग | संजय - लोहा |
| 96 | मो० सबीर | फुसरी | तापीन | हजारीबाग | मो० सबीर |
| 97 | रामलाल मांझी | फुसरी | तापीन | हजारीबाग | [illegible] |
| 98 | रवि वर्मा | बहेरा | तापीन | हजारीबाग | [illegible] |
| 99 | शंकर भुईयाँ | बहेरा | तापीन | हजारीबाग | शंकर |
| 100 | दिलीप कुमार महतो | बेहरा | चरही | हजारीबाग | [illegible] |

# जन प्रतिनिधि उपस्थिति पंजी (लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकों के लिए )

| क्र0 सं0 | नाम/पदनाम | ग्राम का नाम | पोस्ट | जिला | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | मुखिया बहेरा पं० बबली पीटर होरो | बहेरा पं० | चरही/तापिन | हजारीबाग | ब० पी० होरो 24-2-16 |
| 102 | आणुश्री देवी (प्रमुख) | चरही प्रं० | चरही/तापिन | हजारीबाग | आणुश्री देवी |
| 103 | नेहा देवी पंचायत समिति सदस्य | बहेरा कजरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | नेहा देवी |
| 104 | शांति देवी | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | शांति देवी |
| 105 | Agnesiya Sandi purti | Charhi | चरही/तापिन | हजारीबाग | Agnesiya S purti |
| 106 | (जिला परिषद सदस्य) | | चरही/तापिन | हजारीबाग | |
| 107 | प्रभु मुर्मू | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | प्रभु मुर्मू |
| 108 | अनवर हुसैन | चरही/पश्चिम | चरही/तापिन | हजारीबाग | Anwar Husain |
| 109 | अजय कुमार महतो | चरही/कजरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | Ajay kr Mahto |
| 110 | किसान मुर्मू | कजरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | किसान मुर्मू |
| 111 | Vijay Tudu | fusri | चरही/तापिन | हजारीबाग | Vijay Tudu |
| 112 | पुरन कुमार टुडू | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | पुरन कुमार टुडू |
| 113 | Brahmdeo mehto | Charhi | चरही/तापिन | हजारीबाग | Brahmdeo Mahto |
| 114 | KAPoor Kumar | Charhi | चरही/तापिन | हजारीबाग | KaPoor Kumar |
| 115 | लालमोहन सोरेन | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | लालमोहन सोरेन |
| 116 | बिरसा टुडू | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | बिरसा टुडू |
| 117 | कमला रानी देवी | बहेरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | |
| 118 | लक्ष्मिनिया देवी | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | |
| 119 | तिलकनी देवी | कजरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | |
| 120 | सिवाली देवी | बहेरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | |
| 121 | जलमनी देवी | बहेरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | |

अनुलग्नक - 2

## उपस्थिति पंजी (लोक सुनवाई में उपस्थित नागरिकों के लिए)

| क्र0 सं0 | नाम/पदनाम | ग्राम का नाम | पोस्ट | जिला | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | भोला टुडू | बेहरा | चरेही/तापिन | हजारीबाग | भोला टुडू |
| 123 | Baldeo Mahto | बेहरा | चरेही/तापिन | हजारीबाग | [illegible] |
| 124 | मंजू कुमारी | बेहरा | चरेही/तापिन | हजारीबाग | Manju |
| 125 | शीला कुमारी | बेहरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | Kumari |
| 126 | Bablu | Behara | चरही/तापिन | हजारीबाग | [illegible] |
| 127 | सुमित महतो | बेहरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | सुमित [illegible] |
| 128 | सुमन कुमार | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | सुमन कुमार |
| 129 | Ravindra Pd. | बेहरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | Ravindra |
| 130 | सुनिल कुमार | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | सुनिल |
| 131 | भगवान महतो | लाकेरवाप | चरही/तापिन | हजारीबाग | भगवान महतो |
| 132 | Anil Hembram | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | अनिल हेम्ब्रम |
| 133 | Ramlal Mahto | बेहरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | Ramlal Mahto |
| 134 | प्रकाश मुर्मू | बेहरा | चरही/तापिन | हजारीबाग | प्रकाश मुर्मू |
| 135 | Upendra Mahto | Behara | चरही/तापिन | हजारीबाग | Upendra. |
| 136 | Kailash Kumar | Behra | चरही/तापिन | हजारीबाग | Kailash. |
| 137 | Ram Kumar | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | Ram Kumar |
| 138 | अनिल टुडू | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | अनिल टुडू |
| 139 | Naresh Tudu | Phussri | चरही/तापिन | हजारीबाग | Naresh Tudu |
| 140 | Samel Marmu | phussri | चरही/तापिन | हजारीबाग | Samel Marmu |
| 141 | रमेश मुर्मू | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | रमेश मुर्मू |
| 142 | राजू मांझी | फुसरी | चरही/तापिन | हजारीबाग | राजू मांझी |

उपायुक्त

Dir DRDA, SDO Sadar कौन से
है किसी को प्राधिकृत कर बैठक/जनसुनवाई
के भाग लेने हेतु निर्देशित किया जा सकता है

21/7/16

Dir DRDA

नाजिर

झारखण्ड
JSPCB

# झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

**नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. परिसर, धुर्वा, राँची-834004**

**दूरभाष (0651)2400851,2400852, फैक्स : 0651-2400850**

## लोक सुनवाई की सूचना

**सर्वश्री तापिन साउथ बिस्तारीकरण खुली खदान परियोजना (0.06 एम.टी.पी.ए. से 2.0 एम.टी.पी.ए.) सी.सी.एल., तापिन, जिला-हजारीबाग का** पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक **27.02.2016 (दिन शनिवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे, एक्सक्यूटिभ क्लब, तापिन साउथ कॉलोनी, पो.-तापिन, जिला-हजारीबाग** में निर्धारित की गयी है।

उक्त योजना से सम्भावित प्रभाव से प्रभावित होने वाले लोगों/नागरिकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक सुनवाई में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर आवश्यक रूप से भाग लें एवं अपने विचार से अवगत करायें। इसके अतिरिक्त वे अपना सुझाव, विचार, मंतव्य अथवा आपत्ति यदि हो तो लिखित रूप से सूचना उक्त लोक सुनवाई की तिथि से **एक सप्ताह के पूर्व** तक झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, टी०ए० भवन, पोस्ट धुर्वा, राँची/जिले के उपायुक्त कार्यालय, **हजारीबाग,** पर्षद के क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पी.टी.सी.चौक, **हजारीबाग** में उपलब्ध करा दें।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले किसी भी तरह की आपत्ति/सुझाव पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। लोक सुनवाई की प्रकिया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या टी.एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना एस.ओ. 3067 (ई.), दिनांक 01.12.2009 के अनुरूप होगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट पर्यावरणीय प्रभावी मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा सारांश की एक-एक हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ रखी रहेगी। साथ ही कार्यपालक सार(प्रोजेक्ट सारांश) भी निम्न कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।

1 उपायुक्त कार्यालय, **हजारीबाग**
2 जिला उद्योग केन्द्र, **हजारीबाग**
3 जिला पर्षद्/नगर निगम- **हजारीबाग**
4 झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुख्यालय, टी.ए.बिल्डींग, एच.ई.सी.धुर्वा, राँची/क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पी.टी.सी. चौक, मटवारी रोड़, हजारीबाग
5 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला संख्या-ए-2, श्यामली कॉलोनी, राँची
6 संबंधित पंचायत।
7 संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय।

**ह./-(संजय कुमार सुमन)**
**सदस्य सचिव**